न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 55/2015

उनवान

सेडूराम
भागाराम
} पि0 बालूराम जाति खारवाल निवासी गोविन्दपुरा घाबाई तहसील शाहपुरा

वादीगण

बनाम

अर्जुन
महेश
पप्पू
गोपाल
} पि0 कालू जातियान खारवाल निवासी गोविन्दपुरा घाबाई तहसील शाहपुरा

राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
उप पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर टी ए–1955

निर्णय दिनांकः 4/3/2020

दावा संक्षेप में यह है कि हॉल आराजी खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.27 है0, 1023 रकबा 0.41 है0, 1045 रकबा 0.36 है0, 1046 रकबा 0.10 है0, 1047 रकबा 0.04 है0, 1048 रकबा 0.12 है0, 1049 रकबा 0.19 है0, 1050 रकबा 0.18 है0, 1051 रकबा 0.13 है0, 1052 रकबा 0.13 है0, 1053 रकबा 0.04 है0, 1054 रकबा 0.17 है0, 1055 रकबा 0.21 है0, 1056 रकबा 0.17 है0, 1059 रकबा 0.54 है0, 1067 रकबा 0.11 है कुल केता 16 रकबा 3.34 है0 वाके ग्राम जवानपुरा धाबाई पटवारी हल्का छापुडा खुर्द तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 274, 302, 301, 300, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 296, 297 से हॉल खसरा नम्बर कायम किये गये है । जिसे प्रकरण में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

उक्त विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के नाम खातेदारी में दर्ज हैं तथा विवादित आराजी वादीगण की हिन्दु कानून के तहत प्राप्त उत्तरोत्तर की भूमियां है जो पूर्व में वादीगण के पिता बालूराम पुत्र परताराम के नाम दर्ज खातेदारी रही है तथा वादीगण उक्त मृतक बालूराम की जायन्दा संतान है । वादीगण के दादा परताराम के 2 पुत्र बालूराम व श्योबक्स हुये जिनमें उक्त मृतक बालूराम के वादीगण पुत्र होकर हिन्दु विधि के अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है तथा बालूराम की मृत्यु दिनांक 27.5.1970 को हो चुकी है।

प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 मृतक श्योबक्स जो वादीगण के पिता बालूराम के सगे भाई के लड़के कालूराम के विधिक उत्तराधिकर है जिनका वादीगण की उक्त विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं होने के बावजूद प्रतिवादी सं0 1 लगा 4 के पिता ने विवादित आरजी की सम्पूर्ण खातेदारी वादीगण के बजाय अपने नाम करवाली जो शुरू से ही मौका वाक्यात एवं खिलाफ कानून होने से वादीगण के हक अधिकारों पर नल एण्ड वोईड है तथा मात्र फोरी कार्यवाही कर खातेदारी दर्ज करवाने से प्रतिवादीगण को उक्त विवादित आराजी में कोई हक अधिकार प्रदोभूत नहीं होत है जबकि वादीगण अपने पिता की सम्पूर्ण आराजीयात में जन्म से हक अधिकार हासिल है । विवादित आराजी पर वरवक्त लागू होने काश्तकारी अधिनियम 1955 साबिक सैटलमेन्ट से ही वादीगण के पिता बालूराम बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते रहे तथा खातेदारी रिकार्ड आफ राइट्स में उनके नाम का इन्द्राज चला रहा जबकि उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीसं0 1 लगा0 4 के पिता ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर विवादित आराजीको उत्तरोत्तर में मृतक बालूराम का स्वंय वारिस उत्तराधिकारी बनकर अपने अकेले के नाम दर्ज करवाली जबकि वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर वादीगण बहैसियत खातेदार काश्त अपने पिता की विरासत पर काबिज काश्त है तथा राज में लगान अदा करते आ रहे है, जबकि प्रतिवादी सं0 1 लगा 4 के पिता बाला बाला विरासत इन्द्राज अपने अकेले के नाम फौरी कार्यवाही को अंजाम देते हुये करवा लिया तथा मृतक कालूराम पुत्र श्योबक्स की मृत्यु हो जाने पर प्रतिवादी सं0 1 लगा 4 ने बाला बाला विवादित आराजी को अपने नाम करवा लिया तथा भारग्रस्त कर दिया जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वादीगण अर्सा 12 माह पूर्व अपनी खातेदारी भूमि के विकास व सुधार हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तो जानकारी में आया कि उक्त आराजी वादीगण के नाम न होकर प्रतिवादी सं0 1 लगा 4 के नाम खातेदारी में दर्ज है । वादीगण ने मोजीज व्यक्तियो को एकत्रित कर प्रतिवादीगण को भूमि नाम कराने हेतु समझाईस करने पर 1 माह में तहसील में जाकर भूमि नाम कराने हेतु तैयार हो गये लेकिन एक माह बाद प्रतिवादी बहाने बाजी तथा टालमटोल करते रहे तथा अपनी व्यवस्ता का बहाना बनाते रहे । वादीगण ने पुनः मोजीज व्यक्तियों के सामने भूमि नाम कराने हेतु कहने पर प्रतिवादीगण भड़क गये तथा विवादित आराजी को नाम कराने से मना कर दीगर व्यक्तियों को बैचान करने की धमकी देने से यह वाद पत्र पेश किया गया । अन्त में वादीगण ने निवेदन किया कि विवादित आराजी पर आज भी वादीगण अपने पिता के फुट स्टेप पर काबिज काश्त है जबकि प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 का 1 ईंच भूमि पर भी कब्जा नहीं है जबकि बाला बाला अपने नाम करवाकर भारग्रस्त विवादित आराजी को कर दिया जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नही था ना ही राजस्व कर्मचारियों व रिकार्ड मे विरासत दर्ज करते समय भू राजस्व अधिनियम व हिन्दु कानून के नियमो के तक कार्यवाही कर रिकार्ड ऑफ राईटस में अमल दरामद किया जाना चाहिए जकि विवादित आराजी को मौका वाक्यात व कानून के खिलाफ वादीगण को विधिक अधिकारो से महरूम कर राजस्व रिकार्ड तैयार करवाया है जो काबिले दुरूस्ती होने से उक्त विवादित आराजी सम्पूर्ण को वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश करने पर विधिवत वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया । वकील प्रतिवादी को अनेक अवसर जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब दावा पेश नहीं किया गया तथा दिनांक 26.9.2020 वकील प्रतिवादी ने प्रकरण में पैरवी नहीं करना जाहिर किया गया।

वकील वादी ने अपने वाद पत्र के सम्बन्ध में सेडूराम , भागाराम व मूलसिंह के शपथ पेश किये तथा अपनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करवाकर जाहिर किया कि कालू के द्वारा फौरी कार्यवाही करके भूमि अपने नाम करवाई है जबकि बालू के वास्तविक वारिस वादीगण है । अतः विवादित आराजी में प्रतिवादी सं0 1 लगा 4 का नाम हजफ कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस का मनन किया । विवादित आराजी वादीगण के पूर्वज बालू बल्द परता के नाम साबिक खसरा नम्बर 274, 302, 301, 300, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 296, 297 भू प्रबन्ध खतौनी मे दर्ज राजस्व रिकार्ड रहीं है तथा साबिक खसरा नम्बर से विवादित आराजी के हाल कायम खसरा नम्बर जमाबन्दी सं0 2035 से 2038 में कालू पुत्र बालू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है , जिससे स्पष्ट है कि बालू की मृत्यु पर उसकी विरासत का नामान्तकरण वादीगण के स्थान पर कालू के नाम भरा गया जबकि बालू के वास्तविक उत्तराधिकारी वादीगण ही है । वकील वादी द्वारा पेश किये गये साक्ष्य वादी के शपथ पत्रो से भी विदित होता है कि बालू के वादीगण ही उत्तराधिकारी है तथा वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त रहा है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है । नामान्तकरण स0 17 स्वीकृत दिनांक 4.4.66 के अवलोकन से भी जाहिर है कि बालू की विरासत कालू पि0मु0 बालू के नाम दर्ज की गई है जबकि बालू के वास्तविक वारिस वादीगण ही है, प्रतिवादीगण के पिता कालू के द्वारा बाला बाला नामान्तकरण सं0 17 से जो विरासत में विवादित आराजी को अपने नाम करवाई है वह फौरी कार्यवाही को अंजाम देते हुये करवाना स्पष्ट प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.27 है0, 1023 रकबा 0.41 है0, 1045 रकबा 0.36 है0, 1046 रकबा 0.10 है0, 1047 रकबा 0.04 है0, 1048 रकबा 0.12 है0, 1049 रकबा 0.19 है0, 1050 रकबा 0.18 है0, 1051 रकबा 0.13 है0, 1052 रकबा 0.13 है0, 1053 रकबा 0.07 है0, 1054 रकबा 0.07 है0, 1055 रकबा 0.21 है0, 1056 रकबा 0.17 है0, 1059 रकबा 0.54 है0, 1067 रकबा 0.11 है कुल किता 16 रकबा 3.34 है0 वाके ग्राम जवानपुरा धाबाई पटवारी हल्का छापुडा खुर्द तहसील शाहपुरा में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का नाम हजफ करके वादीगण संख्या 1 लगायत 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त व उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 4/3/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– 55/2015

उनवान

सेडूराम
भागाराम
पि0 बालूराम जाति खारवाल निवासी गोविन्दपुरा धाबाई तहसील शाहपुरा

वादीगण

बनाम

अर्जुन
महेश
पप्पू
गोपाल
पि0 कालू जातियान खारवाल निवासी गोविन्दपुरा धाबाई तहसील शाहपुरा

राजस्थान सरकार (भू धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
उप पंजीयक उप पंजीयक कार्यालय शाहपुरा

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर टी ए–1955</u>

निर्णय दिनांकः 5/3/2020

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1003 रकबा 0.27 है0, 1023 रकबा 0.41 है0, 1045 रकबा 0.36 है0, 1046 रकबा 0.10 है0, 1047 रकबा 0.04 है0, 1048 रकबा 0.12 है0, 1049 रकबा 0.19 है0, 1050 रकबा 0.18 है0, 1051 रकबा 0.13 है0, 1052 रकबा 0.13 है0, 1053 रकबा 0.04 है0, 1054 रकबा 0.07 है0, 1055 रकबा 0.21 है0, 1056 रकबा 0.17 है0, 1059 रकबा 0.54 है0, 1067 रकबा 0.11 है कुल किता 16 रकबा 3.34 है0 वाके ग्राम जवानपुरा धाबाई पटवारी हल्का छापुडा खुर्द तहसील शाहपुरा में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का नाम हजफ करके वादीगण संख्या 1 लगायत 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त व उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे। ।

निर्णय आज दिनांक ~~[illegible]~~ 5.3.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(नरेन्द्र कुमार मीणा) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
अर्जी के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
.... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान
सत्यमेव जयते